न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीणा (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 44/2016

दायरा दिनांक – 6-12-2016

निर्णय दिनांक –6-12-2019

उनवान

01.हरिसिंह यादव पुत्र श्री टोडाराम जाति अहीर निवासी साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

02.रामगोपाल पुत्र श्री टोडाराम जाति अहीर निवासी साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रार्थीगण

बनाम

01.पूर्णसिंह पुत्र मक्खनसिंह जाति राजपूत

02.प्रहलादसिंह पुत्र मक्खनसिंह जाति राजपूत

03.मोहनसिंह पुत्र मुकुन्दसिंह जाति राजपूत

04.सुन्दरसिंह पुत्र मुकुन्दसिंह जाति राजपूत

05.मंगेज देवी पत्नी मुकुन्दसिंह जाति राजपूत

06.विधा देवी पत्नी टोडाराम जाति अहीर

07.सुमन देवी पत्नी दिनेश जाति अहीर

08.पवन पुत्र दिनेश जाति अहीर

09.तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर ,बानसूर तहसील बानसूर अलवर राज0

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उपधारा (1) अभिधृति 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण

1. प्रार्थीगण – श्री अनिल कुमार यादव एड0
2. अप्रार्थीगण – श्री जगमाल खोवाल एड0,श्री राजेन्द्र कुमार आर्य एड0

–:निर्णय:–

पत्रावली आज मेरे समक्ष वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण हाल आराजी खसरा नं0 371 रकबा 0.01 है0, 372 रकबा 0.34 हैक्टर वाके मौजा सांथलपुर तहसील बानसूर के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ग्राम सांथलपुर खातेदारी की आराजी खसरा नं0 372 रकबा 0.34 है0 वाके मौजा सांथलपुर अपने रिहायशी मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है जिस तक पहुँचने के प्रयोजन के लिये आराजी खसरा नंबर 357 रकबा 1.20 है0 वाके मौजा सांथलपुर की जोत है जिसमें प्रार्थीगण दक्षिणी डोल के सहारे सहारे पूर्व –पश्चिम नया मार्ग खुलवाने का आशय रखते है। इसलिये ग्राम सांथलपुर तहसील बानसूर के आबादी खसरा नं0 365 में से गुजर रहें सी0सी0 रोड के पश्चात हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 358 रकबा 0.68 है0 के

पूर्व डोल के सहारे सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फूट चौडा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 06 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 है0 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे 120 मीटर लम्बा तथा पूर्व डोल के सहारे 12 मीटर लम्बा रास्ता आराजी खसरा नं0 372 तक पहुँचने के लिये 12 फूट चौडा आम रास्ते के लिये प्रार्थीगण राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 251 (क) के अधीन आवेदन करते है जिसकी ताईद में जमाबंदी व नक्शा राजस्व पेश है। ग्राम साथंलपुर तहसील बानसूर की आबादी भूमि खसरा नं0 365 में से गुजर रहे सी0सी0 रोड के पश्चात हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फुट चौडा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 06 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 मीटर है0 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे 120 मीटर लम्बा तथा पूर्व डोल के सहारे 12 मीटर लम्बा रास्ता खसरा नं0 372 तक पहुँचने के लिये 12 फुट चौडा आम रास्ते से आते है तथा इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी की जोत करके आवागमन करते आ रहे है जिस रास्ते को अब अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 372 तक जाने के लिये 12 फुट चौडे रास्ते की आवश्यकता है इस रास्ते के अलावा हम प्रार्थीगण की खातेदारी की अराजी खसरा नं0 372 में जाने के लिये कोई रास्ता नही है। अतः ग्राम सांथलपुर तहसील बानसूर की आबादी भूमि खसरा नं0 365 में से गुजर रहे सी0सी0 रोड के पश्चात हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की अराजी खसरा नं0 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फूट चौडा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 06 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 है0 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे 120 मीटर लम्बा तथा पूर्व डोल के सहारे 12 मीटर लम्बा रास्ता अराजी खसरा नं0 372 तक पहुँचने के लिये 12 फूट चौडा आम रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में तितम्बा काटा जाकर रास्ते को मौके पर चालू किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा0 05 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं0 371 रकबा 0.01 है0 , 372 रकबा 0.34 है0 मौजा साथलपुर तहसील बानसूर में स्थित है ,परन्तु प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी में मात्र सह खातेदार है जिसमें प्रार्थी नं0 01 व 02 हिस्सा 3/8 तथा अप्रार्थी संख्या 07 व 08 हिस्सा 1/12 है तथा डिम्पल पुत्री दिनेश हिस्सा 1/24 हिस्सा है तथा उक्त आराजीयत के सहखातेदार मुताबिक जमाबंदी सरबती पत्नी सुरंजभान व हरफूल पुत्र सूरजभान हिस्सा 1/2 के खतेदार है। स्पष्ट है कि खसरा नं0 371,372 के अन्य सहखातेदारान को रास्ते की आवश्यकता नही है और अपने उक्त खेतों तक पहुँचने के लिए उन्हें वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण आराजी खसरा नं0 371,372 मौजा साथलपुर के मात्र सह खातेदार है जैसा कि जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 01 में विस्तार से अंकित किया गया है। प्रार्थीगण को अपने खेतों/मकानों तक पहुँचने के लिये कदीम से रास्ता उपलब्ध है जो ग्राम साथलपुर में आराजी खसरा नं0 355 जो कि जोहड है जिस तक आबादी के खसरा न0 365 में से निकलने वाले रास्ते से खसरा नं0 358 , 356 से लगते हुये खसरा नं0 357 के बीच डोल पर आने जाने का आम रास्ता है। जो आपसी भाई चारे की भावना से छोडा हुआ है जिससे प्रार्थीगण व अन्य गाँव के लोग आते जाते है जो कदीम से मौजुद रहा है। जिसका वे आज दिन भी उपयोग –उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 371, 372 तक पहुँचने के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेतों में से 12 फुट चौडा और 132 फुट लम्बा रास्ता डी0एल0सी0 रेट पर लेने का अधिकार नही है। अप्रार्थीगण लघु काश्तकार है उनकी पहले से ही लघु जोत है जिनमें 132x12=1584 वर्ग फुट भूमि रास्ते में चले जाने के कारण शेष भूमि economically unviable हो जायेगी जबकि प्रार्थीगण के पास अपने खेतों तक पहुँचने के लिये पहले से ही वैकल्पिक रास्ता है। उक्त प्रार्थना पत्र में चाहा गया

रास्ता आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 है0 वाके मौजा साथलपुर के संबध में न्यायालय श्रीमान में मिन प्रार्थी प्रहलाद सिंह, पूर्णसिंह पुत्रान मक्खन सिंह ने बउनवान प्रहलाद बनाम मोहनसिंह वगैरा के नाम से दावा बाबत तकास्मा एवं हुक्मईक्तनाई दवामी का पेश कर रखा है। किन्तु प्रार्थीगण उक्त वाद से बंटवारा करवाने की बजाय बेजा रुप से मिन प्रार्थीगण के विरुद्व यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है। आराजी खसरा नं0 357 न्यायालय श्रीमान में विवादित आराजी है और जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 15.12.2016 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। प्रार्थीगण का खसरा नं0 358 जो कि आबादी से लगती हुई है तथा आराजी खसरा नं0 371,372, में प्रार्थीगण ने कृषि भूमि को रुपान्तरण करवाये बिना मकान बनाये है जो कि विधि विरुद्व तरीके से बनाये गये है। इस कारण भी प्रार्थीगण कानूनी रुप से प्रार्थना पत्र 251 क (1) लाने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने तथाकथित चाहे गये रास्ते के संबध मं लगती हुई आराजीयात के सहकाश्तकार खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र पेश किया है इस कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण संख्या 06 लगा0 08 की ओर से इकबाल जवाब पेश कर निवदेन किया है कि ग्राम सांथलपुर तहसील बानसूर की आबादी भूमि खसरा नं0 365 में से गुजर रहे सी0सी0 रोड के पश्चात हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फूट चौडा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा. 06 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 है0 की दक्षिणी डोल के सहारे 12 मीटर लम्बा रास्ता आराजी खसरा नं0 372 तक पहुँचने के लिये 12 फूट चौडा आम रास्ते की प्रार्थीगण को आवश्यकता है। ग्राम साथलपुर तहसील बानसूर की आबादी भूमि खसरा नं0 365 में से गुजर रहे सी0सी0 रोड के पश्चात हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फूट चौडा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 06 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 है0 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे 120 मीटर लम्बा तथा पूर्व डोल के सहारे 12 मीटर लम्बा रास्ता आराजी नं0 372 तक पहुँचने के लिये 12 फूट चौडा आम रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में तितम्बा काट कर रास्ते को चालू कर दिया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई उज्रर व ऐतराज नही होगा।

प्रकरण में भू0अभिलेख बुटेरी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया । बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि आ0ख0न0 372 रकबा 0.34 वाकै मौजा सांथलपुर पर पहुँचने हेतु 12 फुट चौडा रास्ता चाहा गया है। भू0अ0नि0 बुटेरी की रिपोर्ट अनुसार आ0ख0न0 358,357 में से अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँचने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। जो केवल जोत की सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है तथा ना ही प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है। अप्रार्थीगण भी यह साबित करने में पूर्णतया नाकामियाब रहे कि प्रार्थी के पास प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता है। प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उपधारा (1) अभिधृति 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार बानसूर को आदेश दिया जाता है कि डी0एल0सी0 क्लाज (6) सब रुल (1) का रुल 2 स्टाम्प रुल 2004 के अनुसार प्रचलित डी0एल0सी0 की दोगुनी राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी अर्थात खसरा नं0 357 के स्वामी/खातेदार को भुगतान कर ग्राम साथलपुर की आबादी भूमि ख0न0 365 में से गुजर रहे सी0सी0 रोड के पश्चात आ0ख0न0 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे–सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फुट चौडा व

प्रतिवादीगण स0 01 लगा0 06 की खातेदारी भूमि आ0ख0न0 357 रकबा 1—20 है की दक्षिणी डोल के सहारे — सहारे 120 मीटर लम्बा तथा पूर्व डोल के सहारे — सहारे 12 मीटर लम्बा एवं 12 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 372 तक पहुँचने हेतु रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में तितम्बा काटकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात तरमीम कर पालना भिजवायें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 6.12.2019 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नं. 176 व 177 खरीदशुदा आराजी है। प्रार्थी को अपनी आराजी तक पहूँचने के लिए सड़क से आगे खसरा नं. 173 से होकर जाना पड़ता है तथा साथ ही निवेदन किया है कि हल्का पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए अन्य जगह से किसी प्रकार का काई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवाने की आज्ञा पारित करें।

उभयपक्ष विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गयी। पत्रावली के राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस के तथ्यों पर गौर किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नजरी नक्शा के मुताबिक प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं. 177 में पहूँच हेतु मार्ग चाहा गया है। हमारे द्वारा तहसीलदार बानसूर की मौका रिपोर्ट दिनांक 04/05/2016 के मुताबिक प्रार्थी को खसरा नं. 177 आने जाने के लिए खसरा नं. 173 जो कि सवाई सिंह पुत्र मानसिंह कौम राजपूत की खातेदारी है और रसनाली से कोटपूतली सड़क से लगती हुई है। इस आराजी से होकर 4 मीटर चौड़ा व 12 मीटर लम्बा रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है जो कि सडक मार्ग से नजदीक है तथा प्रार्थी के पास रास्ते का अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार जब प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी के खसरा नं. 177 में पहूँच हेतु मार्ग नहीं है तथा अन्य कोई विकल्प नहीं है तो प्रार्थी को अपनी खातेदारी खसरा नं. 177 में पहूँच मार्ग प्राप्त करने का अधिकार है तथा हम तहसीलदार बानसूर की मौका रिपोर्ट से भी सहमत हैं। इस प्रकार समस्त विवेचन के बाद प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अत: प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर आदेश है कि हाल आराजी खसरा नं. 173 रकबा 0.08 हैक्ट. की डोल के सहारे 4 मीटर चौडा व 12 मीटर लम्बा रास्ता खसरा नं. 173 में घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार बानसूर को आदेशित किया जाता है कि डी.एल.सी. क्लाज(6) सब रूल (1) का रूल 2 स्टाम्प रूल 2004 के अनुसार डी.एल.सी. की दो गुनी राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी अर्थात खसरा नं. 173 के स्वामी/खातेदार को भुगतान कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर पालना करावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात तरमीम कर पालना भिजवायें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीणा (आर0ए0एस0)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 44/2016
दायारा दिनांक – 6-12-2016
निर्णय दिनांक –

उनवान

01.हरिसिंह यादव पुत्र श्री टोडाराम जाति अहीर निवासी साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
02.रामगोपाल पुत्र श्री टोडाराम जाति अहीर निवासी साथलपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रार्थीगण

बनाम

01.पूर्णसिंह पुत्र मक्खनसिंह जाति राजपूत
02.प्रहलादसिंह पुत्र मक्खनसिंह जाति राजपूत
03.मोहनसिंह पुत्र मुकुन्दसिंह जाति राजपूत
04.सुन्दरसिंह पुत्र मुकुन्दसिंह जाति राजपूत
05.मंगेज देवी पत्नी मुकुन्दसिंह जाति राजपूत
06.विधा देवी पत्नी टोडाराम जाति अहीर
07.सुमन देवी पत्नी दिनेश जाति अहीर
08.पवन पुत्र दिनेश जाति अहीर
09.तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर ,बानसूर तहसील बानसूर अलवर राज0

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उपधारा (1) अभिधृति 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण

1. प्रार्थीगण – श्री अनिल कुमार यादव एड0
2. अप्रार्थीगण – श्री जगमाल खोवाल एड0,श्री राजेन्द्र कुमार आर्य एड0

–:निर्णय:–

पत्रावली आज मेरे समक्ष वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण हाल आराजी खसरा नं0 371 रकबा 0.01 है0, 372 रकबा 0.34 हैक्टर वाके मौजा सांथलपुर तहसील बानसूर के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ग्राम सांथलपुर खातेदारी की आराजी खसरा नं0 372 रकबा 0.34 है0 वाके मौजा सांथलपुर अपने रिहायशी मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है जिस तक पहुँचने के प्रयोजन के लिये आराजी खसरा नंबर 357 रकबा 1.20 है0 वाके मौजा सांथलपुर की जोत है जिसमें प्रार्थीगण दक्षिणी डोल के सहारे सहारे पूर्व –पश्चिम नया मार्ग खुलवाने का आशय रखते है। इसलिये ग्राम सांथलपुर तहसील बानसूर के आबादी खसरा नं0 365 में से गुजर रहें सी0सी0 रोड के पश्चात हम

प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फूट चौडा व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 06 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 है0 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे 120 मीटर लम्बा तथा पूर्व डोल के सहारे 12 मीटर लम्बा रास्ता आराजी खसरा नं0 372 तक पहुँचने के लिये 12 फूट चौडा आम रास्ते के लिये प्रार्थीगण राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 3) की धारा 251 (क) के अधीन आवेदन करते है जिसकी ताईद में जमाबंदी व नक्शा राजस्व पेश है। ग्राम साथंलपुर तहसील बानसूर की आबादी भूमि खसरा नं0 365 में से गुजर रहे सी0सी0 रोड के पश्चात हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फुट चौडा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 06 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 मीटर है0 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे 120 मीटर लम्बा तथा पूर्व डोल के सहारे 12 मीटर लम्बा रास्ता खसरा नं0 372 तक पहुँचने के लिये 12 फुट चौडा आम रास्ते से आते है तथा इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी की जोत करके आवागमन करते आ रहे है जिस रास्ते को अब अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 372 तक जाने के लिये 12 फुट चौडे रास्ते की आवश्यकता है इस रास्ते के अलावा हम प्रार्थीगण की खातेदारी की अराजी खसरा नं0 372 में जाने के लिये कोई रास्ता नही है। अतः ग्राम सांथलपुर तहसील बानसूर की आबादी भूमि खसरा नं0 365 में से गुजर रहे सी0सी0 रोड के पश्चात हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की अराजी खसरा नं0 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फूट चौडा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 06 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 है0 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे 120 मीटर लम्बा तथा पूर्व डोल के सहारे 12 मीटर लम्बा रास्ता अराजी खसरा नं0 372 तक पहुँचने के लिये 12 फूट चौडा आम रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में िततम्बा काटा जाकर रास्ते को मौके पर चालू किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा0 05 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं0 371 रकबा 0.01 है0 , 372 रकबा 0.34 है0 मौजा साथलपुर तहसील बानसूर में स्थित है ,परन्तु प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी में मात्र सह खातेदार है जिसमें प्रार्थी नं0 01 व 02 हिस्सा 3/8 तथा अप्रार्थी संख्या 07 व 08 हिस्सा 1/12 है तथा डिम्पल पुत्री दिनेश हिस्सा 1/24 हिस्सा है तथा उक्त आराजीयत के सहखातेदार मुताबिक जमाबंदी सरबती पत्नी सुरंजभान व हरफूल पुत्र सूरजभान हिस्सा 1/2 के खतेदार है। स्पष्ट है कि खसरा नं0 371,372 के अन्य सहखातेदारान को रास्ते की आवश्यकता नही है और अपने उक्त खेतों तक पहुँचने के लिए उन्हें वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण आराजी खसरा नं0 371,372 मौजा साथलपुर के मात्र सह खातेदार है जैसा कि जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 01 में विस्तार से अंकित किया गया है। प्रार्थीगण को अपने खेतों/मकानों तक पहुँचने के लिये कदीम से रास्ता उपलब्ध है जो ग्राम साथलपुर में आराजी खसरा नं0 355 जो कि जोहड है जिस तक आबादी के खसरा न0 365 में से निकलने वाले रास्ते से खसरा नं0 358 , 356 से लगते हुये खसरा नं0 357 के बीच डोल पर आने जाने का आम रास्ता है। जो आपसी भाई चारे की भावना से छोडा हुआ है जिससे प्रार्थीगण व अन्य गाँव के लोग आते जाते है जो कदीम से मौजुद रहा है। जिसका वे आज दिन भी उपयोग –उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 371, 372 तक पहुँचने के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खेतों में से 12 फुट चौडा और 132 फुट लम्बा रास्ता डी0एल0सी0 रेट पर लेने का अधिकार नही है। अप्रार्थीगण लघु काश्तकार है उनकी पहले से ही लघु जोत है जिनमें 132x12=1584 वर्ग फुट भूमि रास्ते में चले जाने के कारण शेष भूमि economically unviable हो जायेगी जबकि प्रार्थीगण के पास अपने खेतों तक

पहुँचने के लिये पहले से ही वैकल्पिक रास्ता है। उक्त प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 है0 वाके मौजा साथलपुर के संबध में न्यायालय श्रीमान में मिन प्रार्थी प्रहलाद सिंह, पूर्णसिंह पुत्रान मक्खन सिंह ने बउनवान प्रहलाद बनाम मोहनसिंह वगैरा के नाम से दावा बाबत तकास्मा एवं हुक्मईक्तनाई दवामी का पेश कर रखा है। किन्तु प्रार्थीगण उक्त वाद से बंटवारा करवाने की बजाय बेजा रुप से मिन प्रार्थीगण के विरुद्व यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है। आराजी खसरा नं0 357 न्यायालय श्रीमान में विवादित आराजी है और जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 15.12.2016 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। प्रार्थीगण का खसरा नं0 358 जो कि आबादी से लगती हुई है तथा आराजी खसरा नं0 371,372, में प्रार्थीगण ने कृषि भूमि को रुपान्तरण करवाये बिना मकान बनाये है जो कि विधि विरुद्व तरीके से बनाये गये है। इस कारण भी प्रार्थीगण कानूनी रुप से प्रार्थना पत्र 251 क (1) लाने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने तथाकथित चाहे गये रास्ते के संबध मं लगती हुई आराजीयात के सहकाश्तकार खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र पेश किया है इस कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण संख्या 06 लगा0 08 की ओर से इकबाल जवाब पेश कर निवदेन किया है कि ग्राम सांथलपुर तहसील बानसूर की आबादी भूमि खसरा नं0 365 में से गुजर रहे सी0सी0 रोड के पश्चात हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फूट चौडा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा. 06 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 है0 की दक्षिणी डोल के सहारे 12 मीटर लम्बा रास्ता आराजी खसरा नं0 372 तक पहुँचने के लिये 12 फूट चौडा आम रास्ते की प्रार्थीगण को आवश्यकता है। ग्राम साथलपुर तहसील बानसूर की आबादी भूमि खसरा नं0 365 में से गुजर रहे सी0सी0 रोड के पश्चात हम प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फूट चौडा व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 06 की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 357 रकबा 1.20 है0 की दक्षिणी डोल के सहारे सहारे 120 मीटर लम्बा तथा पूर्व डोल के सहारे 12 मीटर लम्बा रास्ता आराजी नं0 372 तक पहुँचने के लिये 12 फूट चौडा आम रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में तितम्बा काट कर रास्ते को चालू कर दिया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई उज्र व ऐतराज नही होगा।

प्रकरण में भू0अभिलेख बुटेरी से रिपोर्ट प्राप्त की गई। विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया । बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि आ0ख0न0 372 रकबा 0.34 वाकै मौजा सांथलपुर पर पहुँचने हेतु 12 फुट चौडा रास्ता चाहा गया है। भू0अ0नि0 बुटेरी की रिपोर्ट अनुसार आ0ख0न0 358,357 में से अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँचने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। जो केवल जोत की सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है तथा ना ही प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता है। अप्रार्थीगण भी यह साबित करने में पूर्णतया नाकामियाब रहे कि प्रार्थी के पास प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता है। प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उपधारा (1) अभिधृति 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार बानसूर को आदेश दिया जाता है कि डी0एल0सी0 क्लाज (6) सब रुल (1) का रुल 2 स्टाम्प रुल 2004 के अनुसार प्रचलित डी0एल0सी0 की दोगुनी राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी अर्थात खसरा नं0 357, 358 के स्वामी/खातेदार को भुगतान कर ग्राम साथंलपुर की आबादी भूमि ख0न0 365 में से गुजर रहे सी0सी0 रोड के पश्चात प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 06

लगा0 08 की खातेदारी आ0ख0न0 358 रकबा 0.68 है0 के पूर्व डोल के सहारे–सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फुट चौडा एंव अप्रार्थी स0 01 लगा0 06 की खातेदारी भूमि आ0ख0न0 357 रकबा 1–20 है की दक्षिणी डोल के सहारे – सहारे 120 मीटर लम्बा तथा पूर्व डोल के सहारे – सहारे 12 मीटर लम्बा एवं 12 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 372 तक पहुँचने हेतु रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कर एवं खसरा नं0 358 में रास्ते में आने वाली प्रार्थीगण की भूमि का रास्ते हेतु नियमानुसार समर्पणनामा तश्दीक करवाया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2020.02.13 14:56:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: